

तारीख हुक्म  
 डीपीएन 14/2023 (2023/515)  
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
 श्रीमती लारीबाई 1/5 सरपंच गा.प.पालका

२२/७/२०२४

अखिबतर डीपीएन उपाचिंत।  
 रेसपोडेन्ट अनुपाचित कावाज लागवई  
 गई। उपाचिंत नही हुई। अतः इन्के विरुद्ध  
 एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिऐ जाई  
 है। वहास अखिबतर डीपीएन हुनी  
 गई।

संक्षेप विवरण प्रकार इत प्रकार है कि  
 डीपीएन के विरुद्ध गा. सरपंच 1538  
 निजीय 08/10/2020 ग्राम पंचायत पालका  
 डीपीएन मेमो इस आशय का प्रस्तुत किया  
 कि खातेदार रामलाल जोत दे जाने से  
 शेष पत्र कुबुजा वारित पुत्री राधाबाई  
 का नाम जोमान्शन मे अंकित किया गया  
 जबकि स्वर्गीय रामलाल की पुत्री का  
 नाम राधाबाई न होकर श्रीमती लारीबाई  
 साहू है। ऐसी अवस्था मे खेती से  
 गलती की वजह से लारीबाई जो लही नाम  
 है वह न होकर श्रीमती राधाबाई गलत ही  
 हो गया है, जिन्के राधाबाई का नाम जहां  
 अंकित है उस स्थान पर लारीबाई का  
 नाम राधाबाई रेण्डे मे अंकित कराये जाने  
 हेतु दुर्नस्ती कराये जाने हेतु यह डीपीएन  
 प्रस्तुत है। डीपीएन के अख्या क्रम  
 6908 7053 3663 मे नाम लारीबाई  
 अंकित है। ग्राम पंचायत पालका द्वारा  
 दिनांक 23.6.2023 को प्रमाण पत्र जारी  
 किया जिसमे लारीबाई अंकित है। राजाव  
 रेण्डे मे राधाबाई अंकित है, उन्की वजाय  
 श्रीमती लारीबाई पुत्री रामलाल शर्मा नि.0  
 पालका तह. वस्ती दुर्नस्त किया जाना  
 न्यायोचित है। आवश्यक है ताकि यथेष्ट

(बी. देवल)  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

डायरी नं. 14/2023 (2023/515)  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

मे कोई विवाद नग्न अर्थात् बाकूत नहीं है।  
अपीलान्ट को नं.सं. 1538 में  
नाम राधाकृष्ण गलत अर्थात् होने की  
जाणकारी 7.7.2023 हुई, जिससे उक्त  
दिन गलत जाफ का, वकील सा.स.  
सम्बन्ध का अपील तैयार करवा किंग  
दोरी के अविलम्ब यह अपील कन्स्ट  
मिथर प्रस्तुत है, जो भी जर्बाना पत्र  
का 5 काबूत मिथर मय शपथ कर  
कलम में प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट  
स्वीकार परमाई जाफ नं.सं. 1538 में  
अपीलान्ट का नाम राधाकृष्ण के स्थान  
पर श्रीमती लोदीबाई पुत्री रामलाल प्रभू  
निवासी पालका अंकित किए जाने की  
आदेश पदात कराने एवं इसी अनुया  
राजानु रेकार्ड से दुल्हती कराने जाते।

अपील मेमो के साथ प्रस्तुत थारा  
5 काबूत मयार का जर्बाना पत्र मय  
दिल में स्वीकार किया जाता है। रिव्योडर  
दारा अपील मेमो का खण्डन प्रस्तुत नहीं  
किया गया। अखिरता अपीलान्ट उक्त  
दौराने पहल दी गई दलीलों के अन्वय  
पर अपील मेमो में परिवर्तन तथा अचित  
प्रतीत होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की  
जाफ नान्तरकाल सन् 1538 निर्णय  
दिनांक 08.10.2020 गामु फ्याथर पालका  
निरस्त किया जाता है एवं प्रकृत तहकीका  
वस्ती को प्रतिप्रेषित कर कर निर्देशित

(वीरू देवल)  
सहायक कलक्टर एवं  
अपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख  
हुकम

अपील 14/2023 (2023/515)  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किता जाता है कि अपीलकर्ता को जुर्माने का अवकाश रिला जाकर अपीलकर्ता द्वारा क्लर गार तब्यों की समुचित जांच का विधि समुचित निर्णय पारित करें।

निर्णय निरवकाश जाकर जुनाय गया पत्रावली के समुचित शुद्धा होकर नक्कल हो काम हो। निर्णय की प्रति वाला नही तहकीमत कर कही का पकित की जाय है

(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
घिसौड़गढ़ (राज.)